The Central Government expects that the State Government of Bihar would look into the relevant cases immediately and take necessary action on the directions issued by the Patna High Court.

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर

*318. **श्री दिलीप सिंह जूदेव :** क्या ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्री 24 फरवरी, 1999 को राज्य सभा में अतारंकित प्रश्न 286 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष व्यय की गई सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रति वर्ष व्यय की गई तथा राज्य-वार की गई राशि कितनी –कितनी हैं,

(ख) रोजगार के अवसरों का सृजन करने सबंधी योजनाओं के लिए दी गई राशि से प्रत्येक राज्य सरकार द्वारा प्रति वर्ष कितनी राशि ब्याज के रूप में प्राप्त की गई है, और

(ग) इस ब्याज की राशि के उपयोग के सबंध में दिए गए निर्देश तथा की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री राज्य मंत्री (श्री बाबागोड़ा पाटील) : (क)से (ग) रोजगार पैदा करने वाली योजनाओं पर वर्ष 1995-96 से 1998-99 तक केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों द्वारा व्यय की गयी राशि का वर्षवार और राज्य-वार विवरण अनुपत्र में दिया गया है । (देखिए परिशिष्ट 186, अनुपत्रसं. – 36) जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को इन योजनाओं के लिए सरकार से मिली निधियों पर ब्याज मिलता है । हालांकि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मिलने वाले ब्याज की ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय द्वारा मॉनीटरिंग नहीं की जाती है लेकिन ऐसे ब्याज के उपयोग से संबंधित अनुदेशों में यह निर्धारित हैं कि:

सामान्यत: जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मिले ब्याज का उपयोग कार्यक्रम के संसाधनों में वृद्धि करने के लिए किया जाना चाहिए । मंत्रालय ने दिनांक 9.1.1996 के परिपत्र के अनुसार यह भी निर्णय लिया है कि जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को मिले ब्याज का उपयोग केवल मिनी आई टी आई की स्थापना पर होने वाले अनावर्ती व्यय को पूरा करने के लिए किया जाना चाहिए ।

Rationalisation of Tariff in Power Sector

*319. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:
SHRI JANARDHANA POOJARY:

Will the Minister of POWER be pleased to state:

(a) whether the Prime Minister recently stressed the need for tariff rationalisation in the power sector, to make SEBs more viable and efficient;

(b) if so, whether Government have since examined the aspect of tariff rationalisation throughout the country;

(c) if so, the details thereof;

(d) the details of SEBs suffering losses since the past 3 years and the exact amount of losses suffered by them; and

(e) to what extent the power tariff rationalisation is going to help them?

THE MINISTER OF POWER, MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES (SHRI PR. KUMARAMANGALAM): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) The establishment of Electricity Regulatory Commissions at the Centre and in the States under the ERC Act, 1998 is primarily aimed at rationalising electricity tariffs throughout the country. While State Electricity Regulatory Commissions have become fully functional in Orissa and Haryana, it is at various stages of implementation in most of the other States.

(d) The figures of surplus/deficit of all SEBs taken together for the years 1994-95, 1995-96 and 1996-97 with and without subsidy are given below:

Rs. in Crores.

Years	With Subsidy	Without Subsidy
1994-95	1125.36	-4360.80
1995-96	1237.53	- 6748.68
1996-97	833.03	- 6835.46

(e) The poor financial health of the State Electricity Boards (SEBs) is *inter-alia* attributed to the irrational tariff structure. Rationalisation of tariff will improve their financial health.

Crimes in Trains

*320. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state: